राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2010

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री आउटपुट बजट वर्ष 2008-2009 एवं आउटकम बजट वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगे ।

अधिसूचनायें

II- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे ।

अ- वित्त विभाग

1- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-80 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-81 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-82 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-III में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-83 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-84 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-85 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-02 दिनांक 11.4.2006 में संशोधन किया गया है ;

7- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-86 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा शिक्षण संस्थाओं के परिसरों में छात्रों को विक्रय किये गये भोजन जिसका मूल्य प्रतिमास प्रति छात्र 1500/- रूपये से अधिक नहीं हो, उसे कर से मुक्त किया गया है ;

..2...

8- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-87 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा थ्री-स्टार होटल से नीचे के प्रवर्ग के होटल एवं रेस्टोरेन्ट में परोसे गये भोजने के विक्रय पर देय कर को घटा कर 5 प्रतिशत किया गया है ;

9- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-88 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा सिनेमा प्रिन्ट या फिल्मों को किराये पर देने पर लागू वैट से मुक्त किया गया है ;

10- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-89 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-18 दिनांक 8 जुलाई, 2009 में संशोधन किया गया है ;

11- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-90 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-19 दिनांक 8 जुलाई, 2009 में संशोधन किया गया है ;

12- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-91 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

13- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-92 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-21 दिनांक 8 जुलाई, 2009 में संशोधन किया गया है ;

14- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-93 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

15- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-94 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश कर अधिनियम, 1999 के अधीन टैक्सटाईल को दिनांक 15.10.1999 से सशर्त कर मुक्त किया गया है ;

16- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-95 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा जिन सिनेमाघर में प्रवेश फीस किसी भी श्रेणी के 50/- रूपये से अधिक नहीं हों, उन्हें मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ;

17- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-96 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.4(1)वित्त/कर/2000-318 दिनांक 30.3.2000 को अतिष्ठित किया गया है ;

18- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-97 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के भीतर सदस्यों द्वारा ऋण लेने के लिये किये गये आपसी समझौते को स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया गया है ;

19- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-98 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले शपथ पत्र को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया गया है ;

20- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-99 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा गैर कृषि ऋण लेने के लिये टाईटल डीड जमा करने अथवा रहन रखने के दस्तावेज पर पंजीयन शुल्क एक प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया है ;

21- अधिसूचना संख्याः एफ.12(22)वित्त/कर/10-100 दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.2(72)वित्त/कर/2006-46 दिनांक 12.9.2007 में संशोधन किया गया है ;

22- अधिसूचना संख्याः एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/1पी दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.6(179)परि/टैक्स/मु0/95/1एल दिनांक 27.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित किया गया है ;

23- अधिसूचना संख्याः एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/25ए दिनांक 09 मार्च, 2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.6(179) परि/कर/मु0/95/25 दिनांक 31.3.2006 में संशोधन किया गया है ;

<u>ब- प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग</u>

अधिसूचना संख्या :प.20(84)एआर/आरटीआई/2009 दिनांक 29.9.2009 जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-22) की धारा-24 की उप-धारा-4 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सरकार द्वारा स्थापित आतंकवादी विरोधी दस्ते को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

<u>ऊर्जा विभाग</u>

III- डॉ0 जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- अधिसूचना संख्या :राविविआ/रेगू सं.28 दिनांक 4 अगस्त, 2004 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (खुला अभिगमन के लिये निबन्धन और शर्तों में संशोधन) विनियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या :राविविआ/रेगू सं.75 दिनांक 9 जनवरी, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2009 विरचित किये गये हैं ; एवं

3- अधिसूचना संख्या :राविविआ/रेगू सं.76 दिनांक 23 जनवरी, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (टेरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन और शर्तें) विनियम, 2009 विरचित किये गये हैं ।

आपदा प्रबन्धन विभाग

IV - श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्यमंत्री आपदा प्रबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या :प.8(9)आ.प्र.एवं स.आ./आ.प्र./04 दिनांक 11.1.2010 जिसके द्वारा आपदा प्रबन्धन नियम, 2009 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगे ।

कृषि विपणन विभाग

V - श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, कृषि विपणन राज्यमंत्री कृषि विपणन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- अधिसूचना संख्या :प.4(4)कृषि/ग्रुप-2/2006 दिनांक 13.8.2009 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या :प.4(77)कृषि/ग्रुप-2/2003 दिनांक 15.9.2009 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 जिसके द्वारा विज्ञप्ति संख्या :प.10(2)कृषि/ग्रुप-2बी/75 दिनांक 23.4.1977 में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 17.2.2010 जिसके द्वारा विज्ञप्ति संख्या :प.10(2)कृषि/ग्रुप-2बी/75 दिनांक 23.4.1977 में संशोधन किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या : प.4(50)कृषि/ग्रुप-2/97 दिनांक 16.2.2010 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ; एवं

6- अधिसूचना संख्या : प.7(18)कृषि/ग्रुप-2/05 दिनांक 17.2.2010 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ।

वार्षिक प्रतिवेदन

(1) डॉ0 जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड़ का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 ; एवं

II- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105(1) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009.

..5..

(2) श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

I- श्री आदराम मेघवाल, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2009-2010 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2006-2007 के तृतीय प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में गृह विभाग की विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रदत्त आरक्षण (अवशेष) के कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2009-2010 का प्रथम प्रतिवेदन ; एवं

2. अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2000-2001 के प्रथम प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक परिपालनात्मक अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन ।

II- श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2009-2010, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2009-2010 के चौथे, पांचवे, छठे एवं सातवे प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगी ।

4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन

का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

..6..

5. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010

(I) डॉ0 जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-11)	"राजस्थान राज्य में पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री बाबूलाल नागर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री राज्य में बढ़ती महंगाई के संबंध में एक वक्तव्य देंगे ।

7. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011 पर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 9 मार्च, 2010